

कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को पेट्रोल पंपों का आवंटन

*443. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को पेट्रोल पंप तथा एलपीजी की डीलरशिप देने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक शहीद हुए सैनिकों की कितनी विधवाओं/आश्रितों को इनका आवंटन किया गया है और अभी कितनों को आवंटन किया जाना बाकी है; और

(ग) मध्य प्रदेश में ऐसे कितने व्यक्तियों को पेट्रोल पंप और एलपीजी की डीलरशिप आवंटित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। सरकार ने 1999 में, "आप्रेशन विजय" (कारगिल) में युद्ध में शहीद हुए रक्षा कर्मिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पंपों) और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए एक विशेष योजना चलाई थी। इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत महानिदेशक पुनर्वासन (डीजीआर), लाभार्थियों के नामों और स्थानों जहां वे डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना करना चाहते हैं, की सिफारिश पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को करते हैं। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) वाणिज्यिक व्यवहार्यता की दृष्टि से लाभार्थियों द्वारा इच्छित स्थानों के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन करती हैं और सरकार ओएमसीज़ की सिफारिशों के अनुसार आबंटनों को अनुमोदित करती है।

(ख) इस योजना के तहत अब तक किए गए आबंटनों की स्थिति निम्नानुसार है:

श्रेणी	सरकारों द्वारा अनुमोदित मामलों की कुल संख्या	जारी किए गए आशय पत्रों (एलओआई) की संख्या	शेष
खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप	341	299	42
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप	135	135	-

42 शेष मामलों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) अब तक इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में तीन खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप आबंटित की गई हैं।

विवरण-।

इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में तालिका में उल्लिखित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के बकाया 42 मामलों का ब्यौरा निम्नवत् है:

- 22 मामलों में लाभार्थी इच्छुक नहीं थे और इसलिए ये मामले छोड़ दिए गए थे।
- 6 मामलों में बाद में पता चला कि ये आकस्मिकताएं कारगिल आपरेशन में नहीं बल्कि कहीं और घटित हुई थीं। इन मामलों में लाभार्थियों को नए आबंटन पृथक योजना के तहत अर्थात् सरकार की विवेकाधीन कोट योजना के तहत किए गए।
- 8 मामलों में आशय पत्र के जारी किए जाने पर तेल विपणन कंपनियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
- 6 मामलों में लाभार्थियों ने मूल रूप से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए अनुरोध किया था। ये मामले लाभार्थियों द्वारा उत्पाद/स्थानों में परिवर्तन के कारण लंबित हैं। तेल विपणन कंपनियां प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डीजीआर और लाभार्थियों के साथ परामर्श करते हुए प्रयास कर रही हैं।

Allotment of petrol pumps to dependants of Kargil war Martyrs

†*443. SHRI LAXMINARAYAN SHARMA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have formulated a plan to allot dealership of petrol pumps and LPG to the widows of the brave martyrs of Kargil war;

(b) if so, how many widows/dependants of martyr soldiers have been allotted dealership of petrol pumps and LPG till date and how many of them are still left; and

† Original notice of the question was received in Hindi.

(c) the number of such persons in Madhya Pradesh allotted petrol pumps and LPG dealership?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI MURLI DEORA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir. Government had introduced, in 1999, a special scheme for allotment of retail outlet dealerships (petrol pumps) and LPG distributorships to the widows/next of kin of the defence personnel killed in action in "Operation Vijay" (Kargil). Under the scheme, the Director General Resettlement (DGR) under the Ministry of Defence, Government of India, recommends to the Ministry of Petroleum & Natural Gas (MOP&NG) the names of the beneficiaries, along with the locations where they would like the dealerships/distributorships to be set up. Thereafter, the public sector oil marketing companies (OMCs) undertake the feasibility studies in respect of the locations opted for by the beneficiaries from the angle of commercial viability and the Government approves the allotments as per OMCs' recommendations.

(b) The position of the allotments made so far under the scheme is as follows:

Category	Total number of cases approved by the Government	Letters of Intent (LOIs) issued	Balance
Retail outlet dealerships	341	299	42
LPG distributorships	135	135	-

The details of 42 balance cases are given in the Statement-I enclosed. (See below)

(c) So far, three retail outlet dealerships have been allotted in the State of Madhya Pradesh under the scheme.

Statement-I

The break-up of the balance 42 cases of retail outlet dealerships stated in the table in reply to part (b) of the Question is as under:

- In 22 cases, the beneficiaries were not interested and hence these cases were dropped.
- In 6 cases, it was subsequently discovered that these casualties had not taken place in the Kargil operation but elsewhere. Fresh allotments were made to the beneficiaries under these cases under a separate scheme, viz., the discretionary quota scheme of the Government.
- In 8 cases, issuance of LOI is being processed by the OMCs.
- In 6 cases, the beneficiaries had originally requested for LPG distributorships. These cases are pending due to change of product/locations by the beneficiaries. The OMCs are making efforts in consultation with DGR and the beneficiaries to expedite the process.

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा: सभापति महोदय, मुझे इस बात का दुख है कि 7 साल गुजर जाने के बाद भी ऐसे सैनिक, जिनकी कारगिल युद्ध में हत्या कर दी गई, उनकी विधवाओं या उनके परिवार के लोगों को अभी तक पूरी सहायता, पेट्रोल पंप का खुदरा व्यापार देना चाहिए था ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: उन्हें पूछने दीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा: जो शहीद हो गए, उनकी विधवाओं को अभी तक जितने पेट्रोल पंप या खुदरा डीलरशिप देनी चाहिए थी, वह नहीं दे सके। मैं माननीय मंत्री जी से पहले तो यह जानना चाहता हूँ कि आपको कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप क्वैश्चन कर लीजिए, जवाब आ जाएगा।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा: मैं यही क्वैश्चन कर रहा हूँ कि उन्हें कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इतने आवेदन स्वीकार हुए हैं, लेकिन कुल कितने आए हैं, एक बात यह बताएं? दूसरा यह बताया जाए कि क्रमांक 8 और 6 मामलों में आपने कहा है कि आशय पत्र जारी हो गए हैं, लेकिन कंपनियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो आशय पत्र कब जारी हुए हैं और इसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, यह बताने की कृपा करें?

श्री मुरली देवरा: सर, जून 1999 में यह स्कीम शुरू हुई थी और इसके लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट ने, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को रिकमेंड करती है, 492 केस रिकमेंड किए थे। इन 492 केसों में गवर्नमेंट ने 476 केसों को अप्रूव किया और इनमें से 434 केसों को लेटर ऑफ इंटेन्ड इश्यू किया है और 42 केसों को लेटर ऑफ इंटेन्ड इश्यू नहीं किया गया है। इनमें से 389 कमीशन हो चुके हैं।...(व्यवधान)... 448 में से 389 कमीशन हो गए, वे चालू हो गए हैं, जो 87 परसेंट है। मैं आपकी बात से सहमत...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा: टोटल आवेदन कितने आए हैं, यह पूछा है।

श्री मुरली देवरा: आवेदन आने से कुछ नहीं होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बता सकते हैं या नहीं कि कितने आवेदन आए।

श्री मुरली देवरा: सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट ने जो रिकमेंड किया है, मैं वह बता रहा हूँ, यह 492 है।...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा: क्या केवल 492 आवेदन ही आए या इन्होंने इतने रिकमेंड किए हैं?

श्री मुरली देवरा: पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अन्तर्गत है, वह रिकमेंड करती है, उतने आवेदन ही हमारे पास आते हैं, दूसरे आवेदनों के बारे में हमें क्या मालूम! इनमें 448 में से 389 केसों को दिए जा चुके हैं। बाकी जिन्हें नहीं दिया गया है, उनके अन्दर समस्या यह है कि स्टेट वाले लोग जमीन नहीं दे रहे हैं, उनके लिए प्रेमिसेज (जगह) की कमी है और कुछ लोग, जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, वे अब दूसरी जगह जाना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा: सभापति महोदय, वे ज़रा यह बताएं कि ऐसी कौन-कौन सी स्टेट्स हैं, जो जमीन नहीं दे रही हैं? ऐसे कामों के लिए कौन सी ऐसी स्टेट होगी, जो जमीन देने के लिए तैयार नहीं होगी। वे ज़रा बताएं कि ऐसे कौन-कौन से स्टेट्स हैं?

श्री मुरली देवरा: मैं आपको यह लिखित में दे दूंगा। बहुत से स्टेट्स हैं, जिन्होंने, जो मार्टर्स हुए हैं, उनको अभी तक जमीन नहीं दिया है।

श्री उदय प्रताप सिंह: आदरणीय सभापति जी, यह प्रश्न वास्तव में बड़ा भावुकता से भी जुड़ा हुआ है कि जो शहीद हो जाते हैं, उनके रिसेटलमेंट के लिए सरकार को प्रयासरत रहना चाहिए। आप ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यूपी में तो ऐसा कोई केस नहीं है, जहां पर जमीन न दी गई हो, इसलिए यह रुका हुआ हो?

श्री मुरली देवरा: मेरे पास इस सवाल का स्पेसिफिक जवाब नहीं है, लेकिन मैं आपसे सम्मानपूर्वक कह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी मिनिस्ट्री इस बात के लिए पूरी संकल्पित है कि जो लोग कारगिल में शहीद हुए, उनके डिपेंडेंट्स को या उनकी पत्नी को ...(व्यवधान)...

श्री उदय प्रताप सिंह: आपने यह कहा कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, जो जमीन नहीं दे रही हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर यूपी के अन्दर कहीं ऐसा हो, तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे, आपकी मदद करेंगे।

श्री सभापति: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, this Scheme of helping the widows of martyrs was extended to the employees of Parliament when it was attacked by the terrorists. How many such employees have been given petrol pumps?

श्री मुरली देवरा: सर, मैं इनका प्रश्न समझा नहीं।

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, I will put the question again. This Scheme of allotting petrol pumps to the widows of martyrs was extended to the employees of Parliament, to those security personnel who were killed in the attack by the terrorists. Their widows are also to be helped under this Scheme. How many such widows have been helped and allotted petrol pumps? That is my question.

श्री मुरली देवरा: पार्लियामेंट के अंदर सुरक्षा करते हुए जिन...(व्यवधान)...

श्री मनोहर जोशी: सर, पार्लियामेंट पर जब अटैक हुआ और जिन लोगों ने सैकुरीफाइस किया, ऐसे लोगों को भी पेट्रोल पंप देने की स्कीम थी, तो आप ने ऐसे कितने लोगों को पेट्रोल पंप दिए। सर, अभी मैं मराठी में पूछूँ?

SHRI MURLI DEORA: Sir, you have to give me notice

श्री मनोहर गजानन जोशी: अंग्रेजी में पूछूँ, हिंदी में पूछूँ, मराठी में पूछूँ? मैं गुजराती में भी पूछ सकता हूँ।

श्री मुरली देवरा: मुझे मालूम है, आप दूसरी भाषा भी बोल सकते हैं। सर, मेरे पास पूरी लिस्ट है, यह सवाल नहीं है, लेकिन नाम रिकमंड किया गया है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठिए, बैठिए तो सही। माननीय मंत्री महोदय, यह क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है और सदन के सभी माननीय सदस्यों की इच्छा होगी कि जिन लोगों ने पार्लियामेंट के लिए

सैक्रीफाइस किया है, उनके परिवार वालों को सहायता दी जाय। मैं समझता हूँ कि आज आप तैयार नहीं हैं। आप जानकारी देने के लिए कब तक तैयार हो सकते हैं, बता दीजिए?

श्री मुरली देवरा: मैं कल ही इन को पूरा जवाब लिखकर दे दूंगा। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है, जानकारी नहीं है, आप को जानकारी दिला दूँगे।

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, the Minister should be duly prepared for reply ... (Interruptions)...

श्री सभापति: ठीक है, मिनिस्टर को अभी जानकारी नहीं है। वह जानकारी दूँगे ... (व्यवधान)..
.. मैं हाउस में जानकारी दिलवा दूंगा। ... (व्यवधान).... एक मिनट बैठ जाइए। मिनिस्टर को जानकारी नहीं है, वह जानकारी दूँगे तो हाउस को दिलवा दूंगा। ... (व्यवधान)...

श्री मंगनी लाल मंडल: सर, मैं एक पॉइंट की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: सर, आप ने कहा था ... (व्यवधान).... इसी पर पूछना था।

श्री सभापति: वह कल दे दूँगे। वह तैयार हो जाएँ, इस पर उन को जानकारी करनी पड़ेगी।

श्री मुरली देवरा: चैयरमैन सर, मैं बता रहा हूँ। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, ऐसे केसेज थे 9, so far जिन को कमीशन किया व चल रहे हैं, वे हैं 4 और पेंडिंग हैं 5. Pending for want of suitable land and prescribed location. जहाँ उन को बनाने के लिए जमीन चाहिए थी, वहाँ जमीन नहीं मिली, इसलिए ये 5 केसेज पेंडिंग हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आप को आश्वासन देना चाहता हूँ, हम इस की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनको मदद करें।

SHRI MANOHAR JOSHI: Sir, this question pertains to Parliament. The life of so many MPs was saved. Those people have sacrificed their life. For the last so many years. ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: इस मामले को मैं देखूँगा, मंत्री महोदय से बात करूँगा कि वह अलाटमेंट क्यों नहीं हुआ? ... (व्यवधान)...

श्री सुषमा स्वराज: सभापति जी, यह योजना कारगिल के शहीदों की विधवाओं और उनके आश्रितों को सहायता देने के लिए बनाई गई थी। इसलिए मोटी समझ कहती है कि जितने लोग शहीद हुए थे, उन सब की तरफ से एप्लीकेशंस इन डीलरशिप के लिए आनी चाहिए और आई होगी। जो आंकड़े आप ने दिए, उन में कनफ्यूजन पैदा हो रहा है। आप ने आंकड़े दिए हैं जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं और जिन पर गवर्नमेंट ने अभी तक लेटर ऑफ इंटेट किया। उस में आप

ने कहा कि 341 अप्रूव किए हैं, 299 लेटर ऑफ़ इश्यू किए हैं और 42 बचे हैं। सवाल यह नहीं था, सवाल यह है कि कुल जितने लोग शहीद हुए, उन में से कितनों के आवेदन आए और कितने बच गए हैं। वह जवाब नहीं आया। दूसरे आप ने एक नरेशन दिया है जिस में कहा है कि जब डिफेंस मिनिस्ट्री आप को पेट्रोलियम व नेचुरल गैस को ये केसेज सिफारिश कर के भेजती है तो आप की ऑइल कंपनीज देखती हैं कि उन की कॉमर्सियल वाएबिलिटी लोकेशन में बनती है या नहीं? इस का मतलब यह है कि बहुत से आवेदन इस आधार पर रद्द कर दिए गए कि उनकी कॉमर्सियल वाएबिलिटी लोकेशंस के कारण नहीं बनती। तो जो यह सहायता देने की स्कीम बनी थी, उनकी वह सहायता नहीं हो पाती। तो क्या आप उन लोगों को अलग से दूसरी लोकेशंस के लिए दोबारा प्रार्थना पत्र देने को कहते हैं? हमारा इसमें आशय यह है कि आपके मंत्रालय के द्वारा कारगिल के हर शहीद की विधवा को या इसके आश्रित को पेट्रोल पम्प की डीलरशिप मिल जानी चाहिए थी, जो अब तक नहीं मिली। तो आप आंकड़ों का कंप्यूजन समाप्त करके सही स्थिति बताइए।

श्री मुरली देवरा: चेयरमैन साहब, जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट से, डायरेक्टर जनलर ऑफ़ रिसेटलमेंट से हमारे पास आती है, उसमें 492 केसेज रिकमेंड होकर आए हैं, जिनको हमने प्रोसेस किया है। उनमें से 389 केसेज में कमीशन हो चुके हैं और उनको जगह दी जा चुकी है। बाकी जो अभी तक नहीं आए हैं, उनके लिए जगह की समस्या है, रीयल साईट की, इसीलिए वह लेट हो रहा है।
...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठिए। ...(व्यवधान)... प्लीज़ बैठिए। ...(व्यवधान)... बैठिए, बैठिए।
...(व्यवधान)... एक बार बैठिए, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)... Please take your seat ...(Interruptions)... माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि
...(व्यवधान)...

श्री मंगनी लाल मंडल: *

श्री सभापति: एक मिनट ...(व्यवधान)... मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि
...(व्यवधान)... एक मिनट, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)... Please take your seat
...(Interruptions)... कोई रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ...(व्यवधान)... बैठ जाइए, आप।
...(व्यवधान)... Please take your seat ...(Interruptions)... Please take your seat
...(Interruptions)... Nothing will go on record ...(Interruptions)...

माननीय मंत्री महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सदन में कई बार इस पर चर्चा हुई है। माननीय सदस्यों ने असंतोष प्रकट किया है कि कारगिल के शहीदों के लिए जिस प्रकार की

* Not recorded.

घोषणाएं की गई थीं, उन घोषणाओं का पालन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, जो उन एप्लिकेशंस के डिस्पोज़ल को देखें और लोगों को सहायता प्रदान कराए। ... (व्यवधान) ... ऐसी स्थिति में, मैं आपसे चाहूंगा कि आप ज़रा यह बता दीजिए कि आप इस मैटर को किस तरह से डिस्पोज़ ऑफ़ करना चाहते हैं।

श्री मुरली देवरा: सर, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ। आप एक मैम्बर के बारे में पूछ रहे हैं तो हम ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: आप मैम्बर पर मत जाइए। आप यह बताइए कि कारगिल के शहीदों की कितनी एप्लिकेशंस आई थीं, उन एप्लिकेशंस में कितने लोगों को प्लॉट एलॉट हो गई, उनमें से कितने लोग बाकी हैं और क्यों बाकी हैं तथा उनका समाधान कब तक कर देंगे?

श्री मुरली देवरा: यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, सर। ... (व्यवधान) ... मैं फिर से कह रहा हूँ कि ... (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य: सर, एक छोटी सी बात है। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: मैं अभी नहीं जोड़ूंगा ... (व्यवधान) ... अभी नहीं जोड़ूंगा ... (व्यवधान) ... आप बैठ जाइए। ... (व्यवधान) ...

श्री मुरली देवरा: सर, डायरेक्टर जेनेरल ऑफ़ रिसेटलमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने हमें 492 केसेज़ रिकमेंड किए। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: नहीं, उन्होंने जो दिए हैं, वह नहीं। सुषमा जी ने जो सवाल पूछा कि एप्लिकेशंस एक्च्युली कितनी आई थीं? ... (व्यवधान) ...

श्री मुरली देवरा: सर, हमारे यहां एप्लिकेशन नहीं आती। ... (व्यवधान) ... हमारी मिनिस्ट्री में एप्लिकेशन नहीं आती, सर। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: आप अपने यहां मालूम कर लीजिए। ... (व्यवधान) ... आप मालूम कर लीजिए। ... (व्यवधान) ...

श्री मुरली देवरा: ये एप्लिकेशंस हमें डिफेंस मिनिस्ट्री से फॉरवर्ड होती हैं। हम उन्हें नक्की करके रिकमेंड करते हैं, जो कि 492 थीं। ... (व्यवधान) ...

श्री मंगनी लाल मंडल: सर, इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री को ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। ... (व्यवधान) ... आप बैठिए, लेकिन। ... (व्यवधान) ... आप बैठिए, बैठिए। ... (व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य: सभापति जी, इसमें एक बात और जोड़ना चाहिए कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री जी इस क्वेश्चन का जवाब दे दें, आप उनसे संतुष्ट हो जाएं। ...(व्यवधान)... मैं चाहूंगा कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री से भी बात कर लें। उनके पास कितनी एप्लिकेशंस आई हैं, स्कूटनी करने के बाद आपको कितनी एप्लिकेशंस भेजी हैं, आपने उनको किस स्टेज पर पहुंचाया है और आज वे किस स्टेज पर हैं? आप यह जानकारी जल्दी-से-जल्दी हाऊस को दें। नैक्स्ट क्वेश्चन डा० ज्ञान प्रकाश जी। ...(व्यवधान)... अब नहीं, वह हो गया।

Domestic LPG consumers in Rajasthan

*444. DR. GYAN PRAKASH PILANIA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

- (a) number of domestic LPG consumers in Rajasthan and Jaipur;
- (b) quantum in metric tonnes of cooking gas required every month in Rajasthan;
- (c) whether there is shortage of domestic LPG in Rajasthan;
- (d) whether new domestic LPG connections have been stopped;
- (e) whether Government are aware that LPG meant for domestic consumption is being diverted to hotels, restaurants, automobile filling stations;
- (f) if so, steps taken to stop this pilferage;
- (g) whether there is acute shortage of LPG cylinders in the country;
- (h) number of persons on the waiting list for LPG connection in Rajasthan, till date; and
- (i) by when, this backlog is likely to be cleared?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI MURLI DEORA): (a) to (i) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) At present, the Public Sector Oil Marketing Companies (OMCs) have 36.33 lakh domestic LPG consumers in Rajasthan State including 5.8 lakh in Jaipur.